मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 26, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति संबंधी दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा की मांग

श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – प्रदेश में बच्चियों का अपहरण, बलात्कार, हत्या, लूट की घटनाओं के कारण प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है. मध्यप्रदेश में अपराध बहुत हो रहे हैं. यह गंभीर परिस्थिति है इस प्रदेश के अंदर बालक-बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं. अत: प्रश्नकाल और बाकी सभी काम रोक कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाये.

डॉ.गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री, श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जघन्य अपराधों के अनेक अपराधी पकड़े गये हैं. उनको एक महीने के अंदर फांसी दिलाने की कार्यवाही की जा रही है.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल को चलने दें. प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है. परम्परा यह रही है कि प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न किए जाते हैं. सामान्य तौर पर बजट के दौरान स्थगन प्रस्ताव नहीं लिए जाते हैं. अभी प्रश्नकाल चलने दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष महोदय भी भली-भांति जानते हैं कि यह परम्परा रही है कि बजट सत्र में सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाता है. माननीय सदस्यों को जो बात रखनी है, वह शून्यकाल में और गृह विभाग की अनुदान पर चर्चा के दौरान आप उल्लेख कर सकते हैं.

2. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्यगण द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया. व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले 11.12 बजे से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.19 बजे पुन: समवेत हुई तथा पुन: 11.28 बजे सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की जाकर 12.02 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों पर चर्चा के समय व्यवधान होने के कारण प्रश्न नहीं हो सके. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 123 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 136 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के गाँधीसागर जलाशय में क्रोकोडाइल पार्क का निर्माण कराये जाने,

(2) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ न मिलने,

(3) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय, सदस्य की कटनी जिले के किवलरहा नाले पर बना रपटा बह जाने से आवगमन बंद होने,

(4) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य की सतना जिला चिकित्सालय में शव वाहन एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था न होने,

(5) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद में पेयजल सुविधा हेतु चल रही अमृत योजना का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने,

(6) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में सी.बी.एस.सी. स्कूलों के छात्रों को टी.सी. के अभाव में शासकीय स्कूलों में प्रवेश न मिलने,

(7) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा बिरला ग्राम स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में श्रमिकों को दी जाने वाली दवाईयों के वितरण में अधिरियो/कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने,

(8) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की जिला जबलपुर में नव निर्मित जिला न्यायालय भवन का निर्माण गुणवत्ता विहीन किये जाने,

(9) श्री आरिफ मसूद, सदस्य की नरेला वि.स. क्षेत्र अंतर्गत शा.मा.वि. एवं आंगनवाड़ी केंद्र में बारिश के पानी का भराव होने तथा

(10) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की विदिशा जिले की तहसील लटेरी शमशाबाद रोड पर विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गई.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

प्रदेश की कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने उल्लेख किया कि पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है. रोज अपहरण, हत्याएं, बलात्कार, लूट, अपहरण एक उद्योग बन गये हैं. मेरे पास केवल मई और जून की सूची है. 12 जून को सागर जिले के बहेरिया थाने के खड़ेरा बेलखादर गांव में 10 साल की आदिवासी बेटी के साथ दुष्कृत्य किया गया. ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं. भोपाल एवं अन्य स्थानों पर मासूम बच्चों का अपहरण कर हत्या तक की गई है, पूरे प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है. इसका कारण सरकार है, क्योंकि सरकार ने तबादलों को उद्योग बना दिया है. एक पुलिस अफसर लम्बे समय तक एक स्थान पर रह नहीं पा रहा है, पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है.

6. गर्भगृह में प्रवेश

भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराएं जाने की मांग को लेकर गृर्भ गृह में आए एवं नारेबाजी की गई.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(2) श्रीमती इमरती देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 तथा

(ख) मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

पटल पर रखेंगी.

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(4) श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18 पटल पर रखे.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018,
(ख) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018 तथा
(ग) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जिला-कटनी (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखे.

(6) श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2017-18 पटल पर रखी.

8. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन.

9. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने दतिया जिले में लूट एवं हत्या की घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री कुणाल चौधरी, संजीव सिंह, विनय सक्सेना, सदस्यगण ने बैतूल जिले सहित प्रदेश में पौधरोपण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री तरूण भनोत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने वक्तव्य दिया.

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामकिशोर 'नानो' कावरे (जिला-बालाघाट)
(2) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(3) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(4) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(5) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(7) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(8) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(9) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(10) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(11) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(12) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(13) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)

(14) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(15) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(16) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(17) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(18) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(19) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(20) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(21) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-भोपाल)
(22) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(23) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(24) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(25) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(26) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(27) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

13. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 26	संस्कृति के लिए दो सौ छब्बीस करोड़, तेरह लाख, बाईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 38	आयुष के लिए चार सौ इक्यासी करोड़, चालीस लाख, चौबीस हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 52	चिकित्सा शिक्षा के लिए दो हजार तीन सौ नौ करोड़, छिहत्तर लाख, उनतालीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(2) श्री प्रवीण पाठक
(3) श्री अजय विश्नोई
(4) श्रीमती झूमा सोलंकी

(5) श्री हरिशंकर खटीक
(6) डॉ. हिरालाल अलावा

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.

(7) श्री संजीव सिंह "संजू"
(8) श्री केदारनाथ शुक्ल
(9) डॉ. मोहन यादव

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(10) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी
(11) डॉ. योगेश पंडाग्रे
(12) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(13) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(14) श्री बहादुर सिंह चौहान
(15) श्री देवेन्द्र वर्मा
(16) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए आठ हजार एक सौ बावन करोड़, आठ लाख, बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए आठ सौ तैंतालीस करोड़, अठारह लाख, अन्ठानवे हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 71	पर्यावरण के लिए पैंतीस करोड़, चौवन लाख, बयालीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामपाल सिंह

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

14. अध्यक्षीय घोषणा
स्वल्पाहार की व्यवस्था होना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि **स्वल्पाहार** की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार **स्वल्पाहार** ग्रहण करने का कष्ट करें.

15. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(3) श्री गिरीश गौतम
(4) श्री बापू सिंह तंवर
(5) श्री भारत सिंह कुशवाह
(6) श्री हरदीप सिंह डंग
(7) इंजी. प्रदीप लारिया
(8) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी
(9) श्री रामलल्लू वैश्य
(10) श्री कुणाल चौधरी

16. स्वागत उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदया द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री पीयूष सुहाने, फिल्म कलाकार की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया.

17. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(11) श्री बहादुर सिंह चौहान
(12) श्री संजय शर्मा
(13) श्री हरिशंकर खटीक
(14) श्री नारायण सिंह पट्टा

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(15) श्री संजीव सिंह "संजू"
(16) श्री दिलीप सिंह परिहार
(17) श्री गिर्राज डण्डौतिया
(18) श्रीमती झूमा सोलंकी
(19) श्री दिव्यराज सिंह
(20) श्री महेश परमार
(21) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(22) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
(23) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(24) श्री विनय सक्सेना
(25) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 7.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 27, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 17 जुलाई, 2019